



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.nic.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.nic.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No. 55/2017

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति-दिनांक 23.11.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त
- संबंधित

**Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting
held on 23.11.2017- Reg.**

स्थाई व्यापार सुविधा समिति की 141वीं बैठक दिनांक 23.11.2017 को 11.00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। श्री सुमित कुमार, आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 141st meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 11.00 hrs on 23.11.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Sumit Kumar, Commissioner chaired the meeting.

निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे। श्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. Amreeta Titus, Dy. Commissioner
2. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
3. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
4. M.S.Suresh, Asst. Commissioner
5. M.R.Hajong, Asst. Commissioner
6. V A Moideen Naina, Asst. Commissioner
7. Bhuvanachandran P., Scientist 'E', NIC
8. N Aravindan, Superintendent of Customs
9. A.L.Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
10. Vijayan Pillai, Superintendent of Customs
11. Baiju Daniel, Appraiser
12. V.Usha Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार से जुड़े सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि- सर्वश्री

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Raj Vinod, Cochin Port Trust
2. J Gupta, Cochin Port Trust
3. Dr. Jesto George, FSSAI
4. V T Jadhav, Textile Committee
5. S S Sidhu, Plant Quarantine
6. Varghese Lino, DP World
7. Santhosh, CFS, Falcon
8. V. Veeraraghav, CFS GDKL
9. Revin Xavier, CFS, MIV Logistics
10. A A Fernandez, Cochin Customs Broker Association
11. Santhosh, Cochin Steamer Agents Association
12. Alex P Ninan, Sea Food Exporters Association of India
13. K Manoj Kumar, Export Promotion Council for EOU & SEZs
14. P M Muraleedharan, Indian Chamber of Commerce & Industry
15. Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce & Industry
16. Rajeev M C, Federation of Indian Export Organisation
17. Ramakrishnan S, Sea Food Exporters Association of India
18. N N Menon, Trade Track

निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे।

Following Organizations were not represented.

1. Joint Director General of Foreign Trade
2. Cochin Special Economic Zone
3. Coir Board
4. Export Inspection Agency
5. Marine Products Export Development Authority
6. Animal Quarantine & Certification Service
7. Spices Board
8. State Bank of India, Cochin Port Trust Branch
9. Wild Life Sub-Regional Office
10. Concor India Ltd.
11. Tea Board

12. Rubber Board
13. Cochin International Airport Limited
14. CFS, Pettah
15. CFS, Asian Terminal
16. CFS, CICFS
17. Air Cargo Agents Association
18. National Association of Container Freight Station
19. Cochin Chamber of Commerce & Industry
20. Kerala Chamber of Commerce & Industry
21. Exim Forum
22. All India Spice Expo Forum
23. The Cashew Exports Promotion Council of India
24. Central Industrial Chamber, Palakkad Unit
25. CFS, CONCOR

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर अपनी खेद व्यक्त किया कि ऐसी बैठकों में संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते जिनका आयोजन मुख्यतः कोचिन बंदरगाह के माध्यम से व्यापार करने के लिए व्यापार जगत मदद करने और ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए किया जाता है, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछली बैठक का कार्यवृत्त और उसके मर्दों पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया इसके बाद नए मुद्दे उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The Chair expressed his displeasure that the organisations go unrepresented at meetings which are primarily conducted to facilitate the trade through Cochin Port and to tackle issues that might require attention. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

Action on minutes of Last Meeting

बिंदु सं. 1 : बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पी.क्यू. भुगतान स्वीकृत नहीं करना

Point No.1. Non- Acceptance of PQ payments through Banking Channels.

सीसीबीए ने यह मुद्दा उठाया था कि पीक्यू भुगतान ऑनलाइन भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। श्री एस.एस. सिद्धू पादप संगरोध ने कहा कि इस मुद्दे को मुख्यालय के ध्यान में लाया गया है और जवाब प्रतीक्षित है। अभी इस मुद्दे पर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

CCBA had raised the issue of PQ payments not being available for online payment. Shri S S Sidhu, Plant Quarantine had stated that the issue was taken

up with Head Office and reply is awaited. No reply has yet been received on this issue till date.

*अध्यक्ष महोदय ने श्री सिद्धू से मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
The Chair requested the Shri Sidhu to expedite the matter.*

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु

FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

बिंदु सं.1: चेन्नै से एलसीएल ट्रेन्शिपमेंटों के मामले में आगपत्रों को मैनुअल रूप से फाइल करना - कन्सोलिडेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि चेन्नै से एलसीएल ट्रेन्शिपमेंट के लिए सीमाशुल्क आगम पत्रों के ईडीआई फाइलिंग पर जोर दे रहा है। सीएआई ने यह भी कहा कि एलसीएल शिपमेंटों के संबंध में आईसीईएस 1.5 ट्रेन्शिपमेंट आवेदनों को स्वीकार नहीं करता और उसमें एरर दर्शाया जाता है इसलिए केवल मैनुअल टीएसए ही फाइल किया जा सकता है।

Point No. 1 – Manual Filings of Bills of Entry in case of LCL Transhipments from Chennai – Consolidators Association of India stated that Customs was insisting on EDI filing of Bills of Entry for LCL Transhipments from Chennai. CAI further stated Chennai Customs Commissionerate has stated that in respect of LCL Shipments, ICES 1.5 is not accepting the transshipment application and it is showing error and therefore only Manual TSA's can be filed.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बोर्ड ने यह निर्देश जारी किए हैं कि सभी दस्तावेजों को आईसीईएस 1.5 पर ऑनलाइन फाइल किया जाना है। अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आईसीईएस 1.5 पर एलसीएल ट्रेन्शिपमेंटों को अनुमति देने में कोई तकनीकी अडचन है और इसलिए इस मामले को प्रणाली निदेशालय के ध्यान में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्या को सुलझाए जाने तक मौजूदा परिपाटी को जारी रखा जाएगा।

The Chair stated that Board has issued directions to ensure that all documents all filed online in ICES 1.5. The Chair however admitted that it appears that there is a technical issue in allowing of LCL Transhipments through ICES 1.5 and therefore the issue would be taken up with the Directorate of Systems. He stated that the present practice shall continue till the technical issue is resolved.

कार्रवाई: प्रणाली प्रबंधक Action : Systems Manager.

बिंदु सं. 2 : - टर्मिनल में प्रचालनों को शुरू करने के लिए जहाज़ के आगमन में देरी - श्री वर्गीस लेनो, डीपी वर्ल्ड ने कहा कि बर्थिंग के बाद जहाज़ को अंदर प्रवेश देने में होने वाले विलंब से टर्नअराउंड में 45 मिनट की देरी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, चेन्नै ने यह सूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है कि अंदर प्रवेश देने का स्थान पायलट स्टेशन पर जहाज़ का प्वाइंट ऑफ रिपोर्टिंग तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जहाज़ों की बर्थिंग के तुरंत बाद डिसचार्जिंग का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने यह अनुरोध किया कि ऐसी सार्वजनिक सूचना कोचिन में भी जारी की जाए। श्री

गुप्ता, कोचिन पोर्ट ने कहा कि यह "व्यापार करने में आसानी" के हित में अंतरमंत्रालयी समूहों के बड़े दायरे में आता है और इसके बारे में मंत्रालय स्तर पर चर्चा की जा रही है।

Point No. 2 – Delay in Arrival of Vessel to Beginning of Operations at Terminal – Shri Varghese Lino, DP World pointed out that Time Delays in grant of Entry Inwards after the berthing of vessel was delaying the turnaround by 45 Minutes. He further stated that Office of Commissioner of Customs, Chennai had issued a public Notice informing that Entry Inwards shall be advanced to point of reporting of Vessel at Pilot Station so that Vessels can start discharging immediately on berthing of Vessel. He further requested that a Public Notice on similar lines may be issued at Cochin as well. Shri Gupta, Cochin Port Trust stated that this was part of larger interest of "Ease of doing Business" in Inter-Ministerial Groups and that the same is being discussed at the level of Ministry.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह मामले चैन्नै उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क के ध्यान में लाया जाएगा और सहायक आयुक्त (निवारक) को निर्देश दिया कि इस मामले को फाइल पर प्रस्तुत करें और मंत्रालय स्तर की चर्चा के परिणामों का इंतज़ार भी करें।

The Chair stated that this issue would be taken up with Central Board of Excise & Customs and directed Assistant Commissioner (Preventive) to put up the issue in File and also await the result of discussions at the level of Ministry.

कार्रवाई : सहा.आयुक्त (निवारक) Action: AC (Preventive)

बिंदु सं.3 : जनरल आईईसी के लिए मानदंड - श्री एब्रहाम फिलिप, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने कहा कि निर्यात और आयात के लिए आईईसी अनिवार्य हैं उसी समय निजी उपयोग के लिए सामान आयात करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों को आईईसी 0100000053 के तहत अनुमति दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिन में सीमाशुल्क जनरल आईईसी के तहत आगम पत्रों को दायर करने के लिए पूर्व अनुमति पर ज़ोर देता है और क्षेत्राधिकार वाले विलेज ऑफिस से बिल्डिंग परमिट, बिल्डिंग प्लान और ऐसे दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक प्रमाण पत्र मांगता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ विलेज ऑफिसर यह प्रमाणपत्र दे देते हैं, जबकि कुछ विदेश व्यापार नीति के तहत ऐसे प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता न होने का हवाला दे कर यह प्रमाणपत्र नहीं देते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि आयातकों की मुश्किलों को दूर करने के लिए जनरल आईईसी की पात्रता के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएं। उप आयुक्त (आई एण्ड बी) ने कहा कि यह पता लगाना मुश्किल है कि सामान निजी उपयोग के लिए है या नहीं और ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें निजी उपयोग के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए सामान लाया गया फिर भी ऐसे आगम पत्रों के लिए जनरल आईईसी का उपयोग किया गया।

Point No. 3 – Criteria for General IEC – Shri Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce & Industry stated that while it was mandatory for IEC for Exports and Imports, Individuals or Institutions imports goods for personal use are permitted to use General IEC 0100000053. He further stated that at Cochin, Customs insists on prior permission to file Bills of Entry under General IEC and

a certificate from jurisdictional village office enclosing Building Permit, Building Plan and such documents. He further added that while some Village Officers grant this Certificate, some other do not give such Certificate citing that there was no such requirement under Foreign Trade Policy. He requested that broad guidelines on eligibility of General IEC may be issued to mitigate the hardships of the Importers. Deputy Commissioner (I & B) stated that it was difficult to find out whether the goods were for personal use and there have been instances where goods were imported for trading and not for personal use though General IEC was used for filing such Bills of Entry.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे उस मामले का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

The Chair stated that he shall examine the issue in detail.

कार्रवाई : उप आयुक्त (आयात एवं बॉण्ड)

Action : Deputy Commissioner (Import & Bond)

बिंदु सं.4 : लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रदान करने के बाद निर्यातक एवं सीमाशुल्क की शिपिंग बिलों की प्रतिलिपि हैंडल करने संबंधी प्रक्रिया- श्री अन्टोनियो, सीसीबीए ने कहा कि जेएनपीटी सीमाशुल्क ने सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसके तहत सीमाशुल्क की नौवहन बिलों की प्रतिलिपि हैंडल करने संबंधी प्रक्रिया पर विचार किया गया है। जेएनपीटी में यह निर्णय लिया गया है कि सीमाशुल्क की प्रतिलिपि निर्यातक को दे दी जाए और वह स्टीमर एजेंट के माध्यम से एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सहित इसे सीमाशुल्क को वापस लौटा देगा। सहायक आयुक्त (मूल्यनिरूपण) ने जानना चाहा कि स्टीमर एजेंट को केवल सीमाशुल्क की प्रतिलिपि ही क्यों चाहिए। श्री एब्रहाम फिलिप, आईसीसीई ने कहा कि स्टीमर एजेंट को नौवहन बिल की केवल स्पष्ट प्रतिलिपि चाहिए और नौवहन बिल की सीमाशुल्क की प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। सहायक आयुक्त (मूल्यनिरूपण) ने यह भी कहा कि वैधानिक रूप से एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट के साथ नौवहन बिल की सीमाशुल्क की प्रति फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

Point No 4 – Procedure for handling Exporter and Customs Copy of Shipping Bills after grant of Let Export Order – Shri Antonio, CCBA stated that Public Notice was issued at JNPT Customs wherein procedure regarding handling of Customs Copy of Shipping Bills was discussed. It was decided at JNPT that Customs Copy shall be handed over to the Exporter and he would submit it back to Customs alongwith Export General Manifest through the Steamer Agent. Assistant Commissioner (Appraising) as to why the Customs Copy alone was required by the Steamer Agent. Shri Abraham Philip, ICCI stated that Steamer Agent only required a legible copy of Shipping Bill and that there was no requirement for Customs Copy of Shipping Bill. Assistant Commissioner (Appraising) further stated that there was no requirement under the Statute to file Customs Copy of Shipping Bill with Export General Manifest.

अध्यक्ष महोदय ने इस मत से अपनी सहमति जताई कि नौवहन बिल की सीमाशुल्क प्रति निर्यातक को वापस देने संबंधी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

The Chair concurred with the view that the request for handing over Customs Copy of Shipping Bill back to the Exporter cannot be considered.

बिंदु सं.5 - भार में बहुत कम अंतर वाले आगम पत्रों का मूल्यांकन- श्री अन्टोनियो, सीसीबीए ने कहा कि जेएनसीएच में भार आधार पर आगम पत्रों के मूल्यांकन के लिए स्थाई आदेश जारी किया गया है और इसकी एक प्रति प्रस्तुत की। सहायक आयुक्त (मूल्यनिरूपण) ने उक्त आदेश को सरसरी तौर पर देखा और इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए समय मांगा।

Point No. 5 – Assessment of Bills of Entry with slight variations in weights – Shri Antonio, CCBA stated Standing Order was issued in JNCH for assessments of Bills of Entry of Weight Basis and submitted a copy. Assistant Commissioner (Appraising) went through the Standing Order briefly and sought time to study the same.

अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (मूल्यनिरूपण) को निर्देश दिया कि मामले का अध्ययन करें और यदि जरूरत पड़े, तो स्थाई आदेश जारी करने के लिए फाइल प्रस्तुत करें।

The Chair directed the Assistant Commissioner (Appraising) to study the issue and put up the file for issue of Standing Order, if required.

कार्रवाई: सहायक आयुक्त (मूल्यनिरूपण)

Action: Assistant Commissioner (Appraising)

बिंदु सं.6 : - डेलिवरी आदेश पर ज़ोर न देते हुए आयात माल का परीक्षण - श्री अन्टोनियो, सीसीबीए ने अनुरोध किया कि डेलिवरी आदेश पर ज़ोर न देते हुए आयात माल के परीक्षण संबंधी सार्वजनिक सूचनाओं के तर्ज पर सार्वजनिक सूचना जारी की जाए। श्री बैजू डानियल, मूल्यनिरूपक ने कहा कि माल की डेलिवरी से पहले डेलिवरी आदेश पर ज़ोर दिया जाता है न कि परीक्षण के समय। श्री गुप्ता, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने कहा कि कस्टोडियन के रूप में वे डेलिवरी आदेश पर ज़ोर देते हैं।

Point No. 6 – Examination of Import Goods without insisting on Delivery Order – Shri Antonio, CCBA requested Public Notice may be issued in line with such Public Notices for examination of Import Goods without insisting on Delivery Order. Shri Baiju Daniel, Appraiser stated Delivery Order was insisted on before delivery of Goods and not at the time of Examination. Shri Gupta, Cochin Port Trust stated that as Custodians they insisted on Delivery Order.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माल को रिलीज़ करने से पहले डेलिवरी आदेशों पर ज़ोर देने की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

The Chair stated that present practice of insisting on Delivery Order before release of goods may be continued.

बिंदु सं. 7: विलंब शुल्क जुर्माने की अधिकतम सीमा निश्चित करना - श्री अन्टोनियो, सीसीबीए ने जेएनसीएच द्वारा जारी स्थाई आदेश का उद्धरण करते हुए इसी तर्ज पर आगम पत्रों को विलंब से फाइल करने पर लगने वाले जुर्माने की अधिकतम सीमा निश्चित करने के संबंध में स्थाई आदेश जारी करने का अनुरोध किया।

Point No. 7 – Capping of Late Fine Penalty – Shri Antonio, CCBA quoted Standing Order issued at JNCH to state that Standing Order on the same lines may be issued for capping the Fine on Late Filing of Bills of Entry

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विलंब से फाइल करने पर जुर्माना लगाना कानून के परिवर्तन से लागू किया गया है। इस कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी को मामला-दर-मामला आधार पर इस जुर्माने से छूट देने का भी प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा कि संसद की इच्छा के विरुद्ध स्थाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

The Chair stated that imposition of fine on late filing was by a legislative change. The Legislation also provides for waiver by the competent authority on a case to case basis. He further stated that a Standing Order cannot be issued against the will of the Parliament.

बिंदु सं.8 : जहाज़ के आगमन के बाद दस्तावेज़ों को आयात एवं बॉण्ड अनुभाग में लाने की प्रक्रिया को समाप्त कर बोर्डिंग अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाना - श्री संतोष, सीएसएए ने कहा कि जहाज़ के आगमन पर, हर बार जहाज़ संबंधी दस्तावेज़ों को आयात एवं बॉण्ड अनुभाग लाया जाता है जिससे सत्यापन में देरी होती है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस आशय के अनुरोध जारी किए जाए कि बोर्डिंग अधिकारी दस्तावेज़ों का सत्यापन करें और प्रतियों को अनुप्रमाणित करें जिससे सीमाशुल्क गृह में दस्तावेज़ों के सत्यापन की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके।

Point No. 8 – Verification of documents by Boarding Officer doing away with bringing the documents to Import & Bond Section on arrival of Vessel. – Shri Santhosh, CSAA stated that on arrival of Vessel, Ship documents are brought to Import and Bond Section everytime causing delay for verification. He requested that Instructions may be issued so that Boarding Officer may be directed to verify the documents and attest the copies thereby doing away with the practice of verification of documents at Custom House.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी।

The Chair stated that the issue will be examined.

कार्रवाई : उप आयुक्त (आयात एवं बॉण्ड)

Action : Deputy Commissioner (Import & Bond)

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की

तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो 15 दिसंबर, 2017 को या इससे पहले भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting with a word of thanks to the members. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent on or before 15th December 2017. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-

(सुमित कुमार **Sumit Kumar**)

आयुक्त **Commissioner**

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II

तारीख **Dated 3.10.2017.**

//अनुप्रमाणित Attested//

(विजयन पिल्लै **Vijayan Pillai**)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) **Supdt. of Customs (CCU)**

प्रस्तुत **Submitted to:**

**The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax,
Kerala Zone, Cochin.**

**The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service,
Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building , Above BMTB Bus
Stand, Domlur, Bangalore-560071.**

प्रतिलिपि प्रेषित **Copy to : Additional Commissioner**

All D.Cs & A.Cs

All members